न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी शिवप्रसाद एम. नकाते (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 46/2018

1. सुरेश पिता नानूराम बाह्मण, निवासी कारोई कलां तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा —प्रार्थी	बनाम	1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मुकाम गंगापुर जिला भीलवाड़ा —विपक्षीगण

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय तहसीलदार सहाड़ा प्रकरण संख्या 14/2017 दिनांक 24.10.2018 अपील

उपस्थित —

1. अधिवक्ता प्रार्थी — श्री किशनलाल कुमावत।
2. अधिवक्ता विपक्षी — विभागीय परोकार।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक : 01.09.2021

प्रार्थी की ओर से अपील प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट के गोद पिता बद्रीलाल शर्मा के नाम से ग्राम भूणास, पटवार हल्का भूणास में राजस्व खाता संख्या 295 व 602 में कृषि भूमि दर्ज है। अपीलान्ट गोद पिता बद्रीलाल शर्मा की मृत्यु दिनांक 13.04.2016 को हो चुकी है। अतः मृतक बद्रीलाल शर्मा की विरासत में गोद पुत्र की हैसियत से राजस्व रेकार्ड में अपीलान्ट व अपीलान्ट की माता व बहिन का नाम दर्ज कराने का आदेश फरमावें तथा तहसीलदार भीलवाड़ा भी मृतक की विरासत से नामान्तरण में अपीलान्ट का नाम व अपीलान्ट की माता व बहिन का नाम दर्ज करने का आदेश दिया गया है। ग्राम भूणास स्थित मृतक के नाम दर्ज कृषि भूमि में विरासत का नामान्तरण अपीलान्ट गोदपुत्र व माता मांगी तथा बहिन प्रेम के नाम दर्ज किये जाने का निवेदन किया, जिस पर रेस्पोडेन्ट द्वारा धारा 133 (2) भू अभिलेख नियम, 1957 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही प्रारम्भ की, दौराने कार्यवाही अपीलान्ट द्वारा स्व0 बद्रीलाल शर्मा की पत्नि एवं पुत्री के बया दर्ज करवाये एवं स्वयं के बयान भी दर्ज करवाये तथा तहसीलदार, भीलवाड़ा के समक्ष प्रकरण संख्या 27/2016, निर्णय दिनांक 11.02.2017 की प्रमाणित प्रतियां पेश की तथा मृतक की पत्नि एवं पुत्री ने भी अपीलान्ट को मृतक का गोद पुत्र होना स्वीकार किया, परन्तु रेस्पोडेन्ट द्वारा अवैध रूप से अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो अपास्त किये जाने योग्य है।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा